

40. एस्टेट्स सेवन बाररक्षणी आव इन्ड ग्रामन्द उत्पाद गोनेशगांधी।
 41. लाण्डू और बुलाई अधिकार।
 42. निलदसांजी।
 43. कोल्ड स्टोरेज।
 44. गाटरी त्रिपुरिक्षु या रिफ्रिजरेज।
 45. निझी भवित्वालय।
 46. रिसमा उद्योग।
 47. फार्म चामड़।
 48. बिलाई उद्योग।
 49. गोपालिका आयुर्विदिक युवानी पार्मसी।
 50. घोड़।
 51. हाथकारगाँहिल ली गांवी की युवाई। धरी की कांग।
 52. कपड़ा घोन या प्रसादान के साथुन या सिलिकेट या साथुन का चूर्ण या प्रसालक चिमीर्माण।
 53. घटनी कम्बल बनाने के अधिकार।
 54. खापछारी।
 55. हयकरघा उद्योग।
 56. जालित खालित करघा उद्योग।
 57. छोटा(मिनीएसर) बल्ब एडग जोब उत्पाद के निर्माण।
 58. कागज गत्ता और पेपर शीर्ह उद्योग।
 59. ईट बट्टा उद्योग।
 60. गोला उद्योग के नियोजन में।
 61. पीतल के बत्तों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62. किसी निझी चुरुका और सेखा प्रदान अधिकारण में नियोजित सूखा रुम्हा(सूखा कर्मियों) विनमि हथियार सहित/इंजियर रहिं आवि कमी समिलित हो।
 63. बुहरन और सकाई ने नियोजन जिरमे रफाई भौमारी नियोजन एवं शुष्क सौख्यालयों का चिमाण(प्रतिपेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत ले निश्चित किया—कलाप तमिलित नहीं है।
 64. घरनू कामारी का लियाकत।
 65. घरन्यूहर हाईड्रेट उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66. इल्जीजी० विलेन एवं सेवित सेवाओं ने नियोजन।
 67. ईवसीजी, आटोरिक्षा/टैम्पा एवं ईवेसिंग अधिकारण में नियोजन।
 68. कंप्रिल आपरेटर एवं सेवित सेवाओं में नियोजन।
 69. गैर चरकारी सम्बन्ध(एच०जी०आरो) एवं सेवित सेवाओं में नियोजन।
 70. विक्रम नवार्कन(विक्रम चंद्रबन्ध(सेवा शाल)अधिनियम 1976 के अवीन समिलित ऊपरा तमिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में नियोजन।
 71. हेपर कंटिंग सेल्स एवं शूटी चार्जर(पुरुष एवं महिलाय) में नियोजन।
 72. काल सेन्ट्र/वाईटी० इन्डस्ट्रीज/टेलीकारिंग सेवाओं आवि में नियोजन।
 73. ऐसे उत्पादक जो किसी अनुशृंखल नियोजन के अधीन आधारित न हो, में नियोजन।

(सिवाराम)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
 वृत्ति अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० ठी० रोड, कानपुर।

प्र० ३६२-८९ संख्या प्रवर्तन—(एम०डब्ल०)/१५ दिनांक ८/०८/२०२०

प्रतिलिपि—

- समर्प लंबीय अपर/उप अम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से ग्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों वा अवगता कर्ताये लक्ष्य अभियों संशोधनाया व उनक प्रतिनिधियों हारा गांग जाने वा उपलब्ध कराए।
- अनुसन्धित उ०प्र०सान, अम अनुमान—३ नखनक।
- सहायक निदेशक अम एवं रोजगार स्त्रालय,(वैज सेल) मारक शरकार नई ई—मैल wagecell@nic.in के माध्यम से अधिकारी निदेशक उद्योग बधु लखनक।
- उप अम आयुक्त(पाई० आ०) सुख्यालय, कानपुर।
- अपर अम आयुक्त(काम्प्यूहर), सुख्यालय को समर्प लंबीय अपर/उप अम आयुक्त कोई दु—मैल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय नेटवर्क ईप्पन www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमाशु पूर्णारु उत्तराकालयाध्यक्ष, सुख्यालय को अमिलेखार्ड प्रेषित।
- समर्प ग्रन्थ देनिक समाचार घरों को जन सामान्य वी जानकारी डेनु जनहिल में निश्चल प्रकाशनार्थ।

(सिवाराम)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
 वृत्ति अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

‘४४८० गणपूरा आधानयम—1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय पारवतनाय महगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या—194/36-3-2014-07 (न्यूयॉर्क) / 4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या—850/36-03-2019-931(न्यूयॉर्क) / 06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम से निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपमोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 के औसत अंक 329 अंकों पर दिनांक 1.10.2020 से दिनांक 31.3.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भौति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्त— रूपये—5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपमोक्ता मूल सूचकांक—329 पर दिनांक: 01.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा। (329—216)

X_5750= ₹0 3008/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं—						
कर्मांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनांक: 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	
			दिनांक: 1.4.2020 से 30.9.2020 तक	दिनांक: 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	2875.00	3008	8758	336.85
2	अधकुशल	6325	31.62.50	3309	9634	370.53
3	कुशल	7085	3542.50	3706	10791	415.04

नियोजन के नाम—

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिछान उद्योग।
- वासित पेयों (एसोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बोध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन सनस्त रजिस्ट्रीकॉर्ट कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वर्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोविंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री)लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्ग, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकानों में
- वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- यॉक्रिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
- पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- विकन के कार्य।
- दियासलाई उद्योग।
- आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
- बैकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
- बर्फ विनिर्माणशाला।